

Copy of letter No.7385/G.S., dated August 12,1972, from the Secretary to the Chancellor, Gorakhpur University, addressed to the Registrar, Gorakhpur University.

.....

In continuation of this office letter No.4909/G.S. dated July 3,1972, conveying Chancellor's orders withholding his assent to the University's proposal to grant permanent affiliation to Bisheshwar Nath Kailash Behari Degree College, Akbarpur(Faizabad), for the B.A. in certain subjects, I am directed to say that in view of the position stated in the representation of the Management of the College forwarded with the University's letter No.4026/Affl., dated July 14/15,1972 to the Secretary to Government, U.P., Education Department, the Chancellor, on reconsideration, has, under Section 5(2) of the Gorakhpur University Act, been pleased to accord sanction to the University's proposal to grant permanent affiliation to the aforesaid College for the B.A. in English, Hindi, History, Economics, Sanskrit, Asian Culture, Sociology and Psychology on fulfilment of the conditions of affiliation laid down by the University for the purpose.

With regard to the University's proposal, contained in its letter No.4134/Affl., dated July 17/19,1972, for grant of provisional affiliation to the aforesaid College for the B.A. in the additional subjects in Political Science and Geography, I am to say that this institution was earlier allowed affiliation for the Political Science along with the other subjects. But later, on its own request, the College was allowed Economics in place of Political Science. It is not understood why the College now wants affiliation for Political Science also when sufficient number of students are not coming up even for Economics- The College has no satisfactory provision for proper accommodation for teaching the additional subjects. Besides this, teaching of Geography requires laboratory and equipments for which the College has no provision. Moreover it has not been made clear as to what will be the additional expenditure and how the College proposes to meet this additional expenditure which it will have to face after starting the additional subjects.

In the above circumstances, the Chancellor has, under section 5(2) of the Gorakhpur University Act, been pleased to withhold his assent to the University's proposal for affiliation in the above additional subjects.

....

University of Gorakhpur.

No. /affl./(UG)/72-73, August 18,1972.

Copy forwarded to the Principal, Bisheshwar Nath Kailash Behari Degree College, Akbarpur(Faizabad) for information, and necessary action.


(R.P. Ambast)
Asstt. Registrar(Affl.)



Abadh University

FAIZABAD-224 001

Date...21-3-1986.....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बी०एन०के०बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, फैजाबाद कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र तथा बी०एड० एवं स्नातकोत्तर स्तर पर समाज शास्त्र, हिन्दी एवं अर्थशास्त्र विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है ।

डी०आर० त्रिवाणी
21.3.86
डा० डी०आर० त्रिवाणी
कुलसचिव
21/3/86

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- लो०अ०वि०/सम्बद्धन/११६१/२००४ दिनांक ३०.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन बी.एन.के.बी.पी.जी. कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

- १ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
- २ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक, बी.एन.के.बी.पी.जी. कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

O.S.

20.11.04

संख्या: ई.स.-6096/जी.एस.

लखनऊ, दिनांक 17 जनवरी, 2005

(फिन कोड नं०-227132)

प्रेषण,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में;

कुलसचिव,
डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

कृपया बी.एन.के.बी.पी.जी. कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक : ई.स. ५७९९/जी.एस., दिनांक ४.११.२००४ द्वारा दिनांक १.७.२००४ से प्रदान की गयी सम्बद्धता का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी विषय वित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित है। अतः प्राचार्य, बी.एन.के.बी.पी.जी. कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के पत्रांक : १७७/०४-०५, दिनांक १६.१२.२००४ को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के पत्रांक : ई.स. ५७९९/जी.एस., दिनांक ४.११.२००४ की पाँचवीं पंक्ति में उल्लिखित "स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत" शब्द को विलोपित किया जाता है। तदनुसार इस कार्यालय का उपरोक्त पत्र दिनांक ४.११.२००४ संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. मुख्यक, बी.एन.के.बी.पी.जी. कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।